

एम पी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि० (एमपीसीडीएफ)

दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज भोपाल 462024

दूरभाष: 0755 2601517

वाहन विक्रय हेतु ई-निविदा सूचना

एमपीसीडीएफ दुग्ध भवन, हबीबगंज भोपाल द्वारा दो वाहन (जाइलो) वर्ष 2009 मॉडल, टाटा इण्डिका वर्ष 2006 मॉडल, "जहां हैं जैसी है" के आधार पर विक्रय करने हेतु निविदाएं में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों का अवलोकन एमपीसीडीएफ की वेबसाईट www.mpcdf.gov.in में किया जा सकता है। वाहनों का निरीक्षण कार्यालयीन समय में एमपीसीडीएफ परिसर में किया जा सकता है।

निविदा की मुख्य जानकारी निम्नानुसार है :

निविदा प्रपत्र एमपीसीडीएफ कार्यालय में क्रय करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र एमपीसीडीएफ कार्यालय में जमा करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा एमपीसीडीएफ कार्यालय में खोलने की दिनांक व समय	प्रतिभूति राशि
दिनांक 05.10.2020 अपरान्ह 5.00 बजे तक	दिनांक 06.10.2020 अपरान्ह 5.00 बजे तक	दिनांक 07.10.2020 अपरान्ह 3.00 बजे तक	रुपये 5000/- टाटा इंडिका रुपये 10000/- जाइलो

प्रबंध संचालक

एम पी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि० (एमपीसीडीएफ)
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज भोपाल 462024

दूरभाष: 0755 2601517

वाहन विक्रय दस्तावेज

अनुसूची प्रथम	सामान्य शर्तें
अनुसूची द्वितीय	वाहनों का विवरण एवं धरोहर राशि
निविदा संदर्भ	एमपीसीडीएफ / /
निविदा दस्तावेज एमपीसीडीएफ कार्यालय से विक्रय करने की अंतिम समय	दिनांक 05.10.2020 5.00 बजे तक (दोपहर)
निविदा दस्तावेज एमपीसीडीएफ कार्यालय में जमा करने की अंतिम	दिनांक 06.10.2020 दोहपहर 5.00 बजे
निविदा दस्तावेज खोलने की दिनांक समय स्थान	दिनांक 07.10.2020 अपरान्ह 3.00 बजे एमपीसीडीएफ कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण हेतु पता	प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ हबीबगंज भोपाल 462024
निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 500(पाँच सौ रूपये) मात्र नगद जमा या डी.डी. एम.पी.स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल के नाम देय हो ।

प्रबंध संचालक

: अनुसूची प्रथम :

सामान्य शर्तें :-

- निविदा प्रस्तुति :- (अ) निविदायें दिनांक 06.10.2020 5.00 बजे तक एमपीसीडीएफ कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं
(ब) नियत दिनांक 07.10.2020 को एमपीसीडीएफ कार्यालय में अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेंगी।

- (1) वाहन जहाँ है, जैसी स्थिति में है के आधार पर विक्रय किया जावेगा एवं इस कार्यालय द्वारा वाहन की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में इस कार्यालय द्वारा कोई गारंटी नहीं दी जा रही है।
- (2) प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल को वाहन विक्रय की निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने या स्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार है।
- (3) निविदा में गलत पता और सही परिचयात्मक न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो उसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
- (4) निविदा प्रस्तुत करने के उपरान्त निविदाकर्ताओं को निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा।
- (5) निविदा में सुधार या ओव्हर राईटिंग के स्थान पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है तथा ओव्हर राईटिंग के स्थान पर विवरण पुनः स्पष्ट लिखें।
- (6) अनुमोदित पार्टी को निविदा में अनुमोदित राशि एक सप्ताह के अंदर जमा कर वाहन 30 दिवस के अन्दर उठाना अनिवार्य होगा। समयावधि में वाहन नहीं उठाने पर रुपये 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से पार्किंग चार्ज अलग से देय होगा।
- (7) निविदाकर्ता द्वारा अनुसूची क्रमांक 2 में दर्शाई धरोहर राशि निविदा के साथ बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट (डी.डी) एम.पी.स्टेट कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन लि. भोपाल के नाम से जमा करना अनिवार्य है। सफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा रहेगी। वाहन नहीं उठाने पर निविदाकर्ता की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
- (8) वाहन का अवलोकन प्रातः 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक समय में निविदा जमा करने की नियत समय सीमा तक किया जा सकेगा।
- (9) वाहन पर नियमानुसार विक्रय कर एवं समस्त जीएसटी आदि कर निविदाकर्ता द्वारा वहन करना होगा। साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार का पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं वर्तमान निवास का प्रमाण की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य रहेगा। निविदा प्रपत्र में क्रय दर दर्शाना होगी।
- (10) विक्रय किया गया वाहन का इंश्योरेंस एवं रजिस्ट्रेशन सफल निविदाकार के नाम से होने के पश्चात् प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही वाहन की डिलेवरी सफल निविदाकार को दी जाएगी। यह कार्यवाही 30 दिवस के अन्दर करना अनिवार्य होगी।
- (11) निविदा फार्म में निविदाकर्ता के स्वयं के पासपोर्ट साईज फोटो जो कि तीन माह से पुराना न हो चस्था करना अनिवार्य है।
- (12) उच्चतम दर प्रस्तुतकर्ता वाले निविदाकार को वाहन विक्रय किया जावेगा। प्रत्येक वाहन के लिये अलग-अलग उच्चतम दर प्रस्तुतकर्ता निविदाकार को वाहन दिया जाएगा। यदि एक ही निविदाकार द्वारा दोनों वाहनों के लिए अलग-अलग उच्चतम दर प्रस्तुत की जाती है तो उस निविदाकार को दोनों वाहन प्रदाय किये जाएंगे। अनुसूचित द्वितीय में लिखित लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन से कम मूल्य पर वाहन विक्रय नहीं किये जायेंगे।

- (13) निविदाकार को निविदा में दरें समस्त टेक्स रहित प्रस्तुत की जाना होगी । टेक्स जमा करने की जावबदारी सफल निविदाकार की रहेगी ।
- (14) प्रत्येक वाहन के लिए निविदाकार को पृथक-पृथक निविदा क्रय कर उसमें अपनी दर बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी ।
- (15) लिफाफे पर निविदाकार का नाम, पता, मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा ।
- (16) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
- (17) सफल निविदाकार को अपने नाम करने हेतु एमपीसीडीएफ द्वारा विक्रय पत्र जारी किया जावेगा एवं आर.टी.ओ. से वाहन हस्तांतरण की संपूर्ण राशि का व्यय निविदाकार को स्वयं करना होगा ।
- (18) वाहन की डिलेवरी लेने के पश्चात् वाहन के संबंध में समस्त जिम्मेदारी क्रेता की होगी एवं दुर्घटना आदि होने पर एमपीसीडीएफ जबावदार नहीं होगा ।
- (19) विक्रय किये गये वाहन की डिलेवरी सफलतम निविदाकार को निवास के प्रमाण (आधार कार्ड, बिजली का बिल आदि) देने पर ही दी जावेगी ।
- (20) असफल निविदाकारों की प्रतिभूति राशि 30 कार्यालयीन दिवसों के भीतर वापस लौटा दी जावेगी ।
- (21) प्रत्येक निविदाकार उपरोक्त शर्तों का भलि-भॉति अध्ययन कर ले एवं इन शर्तों के नीचे निविदाकार अपने हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटाये ।

(22) धरोहर राशि –

(अ) सभी निविदाकर्ताओं को यह अनिवार्य है कि धरोहर राशि बैंक डिमांड ड्राफ्ट एम.पी.स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल को देय हो, एवं जिसका विवरण अनुसूची क्र. दो में इंगित किया है निविदाओं के साथ जमा करना होगा। अन्य किसी प्रकार से प्रेषित धरोहर राशि को स्वीकृत नहीं किया जायेगा। **बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।**

(ब) सफल निविदाकार की धरोहर राशि एमपीसीडीएफ द्वारा निविदा शर्तों अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् वापस की जाएगी ।

(स) धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

(द) सफल निविदाकार की धरोहर राशि वाहन/वाहनों की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस स्वयं के नाम पर करवाने के पश्चात् ही वापस की जायेगी ।

(23) मूल्य :- निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वाहन की दरें स्थिर होनी चाहिये। दरों का अनुमोदन निविदा खुलने के 15 दिवस में सूचित किया जावेगा।

(24) विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय :-

- निविदाकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन न करने पर अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ का होगा ।
- विवादास्पद प्रकरण में ऊपर दिये गये अनुसार अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ का होगा जो संबंधित निविदाकर्ताओं पर बन्धनकारी होगा ।
- सभी प्रकार के न्यायालयीन विवादों का स्थान भोपाल होगा ।
- निविदा अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के बीच किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जैसे कि कंडिकाओं का अर्थ, कंडिकाओं का प्रभाव दोनों पक्षों के उत्तरदायित्व एवं अधिकार की व्याख्या एवं अनुबंध की शर्तों – के उल्लंघन आदि की स्थिति में विवाद को प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

- (v) एम.पी.सीसीडी.एफ का प्राधिकृत अधिकारी ही विवादित प्रकरण का Sole Arbitrator होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

मैं/हमने एम पी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. (एमपीसीडीएफ) भोपाल के द्वारा पुराने वाहनों के विक्रय हेतु जारी निविदा की उपरोक्त नियमों एवं शर्तों की भली-भांति अध्ययन कर लिया है एवं यह सभी मुझे/हमें स्वीकार्य है।

दिनांक

निविदाकार का नाम,
निविदाकार के हस्ताक्षर
निविदाकार का पूर्ण पता
मोबाईल नंबर

अनुसूची द्वितीय :

वाहन की सूची निर्धारित धरोहर राशि एवं मूल्यांकन विवरण का विवरण

क्रमांक	वाहन के मॉडल	धरोहर राशि रूपये	लोक निर्माण विभाग का मूल्यांकन
1.	वाहन क्रमांक एम पी 04 CC 8571 (जाइलो) वर्ष 2009 मॉडल, डीजल चलित	10000.00	रु. 2.00 लाख
2.	वाहन क्रमांक एम पी 04 CA 2409, (टाटा इण्डिका) वर्ष 2006 मॉडल, डीजल चलित	5000.00	रु. 40,000/-

